प्रा.पत्र सं. 156/2021 GCMS - 2021/153
उन्वान- रामसिंह v/s भूमिधारी

10.08.21 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 18.08.201 को पेश हो।

18.08.2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र सुलतान है। परन्तु विरासतन दर्ज करने एवं राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम सींगाराम पुत्र सुलतान दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी ने गवाह जयदयाल व लीलाराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सींगाराम पुत्र सुलतान अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र सुलतान है की पुष्टि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता जिनमें सही नाम है से होती है। तथा इस तथ्य की पुष्टि गवाहान के शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम धांधेला स्थित भूमि खाता सं0 96, 97, 98 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **सींगाराम पुत्र सुलतान** के स्थान पर **रामसिंह पुत्र सुलतान** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)